



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2276]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 22, 2012/अग्रहायण 1, 1934

No. 2276]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 22, 2012/AGRAHAYANA 1, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2012

का.आ. 2756(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सारणी के स्तम्भ (1) में यथा-विनिर्दिष्ट नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्यांक के, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट सेक्शन के, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) में यथा-विनिर्दिष्ट सड़क खंड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, अर्थात् :—

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्यांक	सेक्शन	किमी में सड़क खंड
(1)	(2)	(3)
9	आंध्र प्रदेश राज्य में विजयवाड़ा-मछलीपट्टनम खंड	0.000 किमी से 65.000 किमी
9	आंध्र प्रदेश राज्य में विजयवाड़ा तक (चैनेज हैदराबाद-विजयवाड़ा खंड के नए चैनेज के कारण)	266.400 किमी से 271.740 किमी
18ए	आंध्र प्रदेश राज्य में तंडावाडा से केएलएम अस्पताल जंक्शन के निकट	41.70 किमी से 58.850 किमी

[फा. सं. एनएच-14013/8/2012-पी एंड एम]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2012

S.O. 2756(E).—In exercise of powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretches as specified in column (3) of the table given below, of the section as specified in column (2) of the said Table, of the National Highway number as specified in column (1) of the said Table to the National Highways Authority of India, namely:-

TABLE

National Highway number.	Section.	Stretch in kilometers.
(1)	(2)	(3)
9	Vijayawada to Machilipatnam in the State of Andhra Pradesh.	From Km. 0.000 to Km. 65.000
9	Upto Vijayawada(due to new chainage of Hyderabad-Vijayawada Section) in the State of Andhra Pradesh.	From Km.266.400 to Km. 271.740
18A	(Near Thandavada to KLM Hospital Junction) in the State of Andhra Pradesh.	From Km.41.70 to Km. 58.850

[F. No. NH-14013/8/2012-P&M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2012

का.आ. 2757(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“1.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4, सं. 9 [किमी 40.000 से किमी 271.740 (हैदराबाद से नंदीगांव से विजयवाड़ा) और किमी 0.000 से किमी 65.000 (विजयवाड़ा से मछलीपट्टनम) तक खंड को छोड़कर], सं. 16, सं. 18 [(किमी 167.750 से किमी 356.502 (कडप्पा से कुरनूल) तक खंड को छोड़कर], सं. 18ए, [किमी 41.70 से किमी 58.85 तक खंड को छोड़कर], सं. 43, सं. 63, सं. 202 [किमी 18.600 से किमी 54.000 (हैदराबाद से यदगिरी) तक खंड को छोड़कर], सं. 205 [किमी 274.800 से किमी 341.600 तक खंड को छोड़कर], सं. 214, सं. 214ए, सं. 219, सं. 221, सं. 222 और सं. 234 के उतने भाग आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित हैं।	आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार” ।
-----	---	-----------------------------------

[फा. सं. एनएच-14013/8/2012-पी एंड एम]

माया प्रकाश, उप-सचिव

टिप्पण.—मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे अंतिम बार का.आ.-2371 (अ), तारीख 05 अक्टूबर, 2012 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2012

S.O. 2757(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the Schedule to the said notification, for serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:

“1	So much of National Highways No.4, No. 9 [excluding from Km. 40.000 to Km. 271.740 (from Hyderabad to Nandigrama to Vijayawada) and from Km.0.000 to 65.000 (Vijayawada to Machilipatnam), No. 16, No. 18[excluding from Km. 167.750 to km. 356.502 (Kadapa to Kurnool)], No. 18A (excluding from Km.41.70 to Km. 58.85), No. 43, No.63, No.202 [excluding from Km.18.600 to Km.54.000 (from Hyderabad to Yadgiri)], No. 205(excluding from km.274.800 to km 341.600), No. 214, No. 214 A, No. 219, No. 221, No. 222 and No. 234 as are situated within the State of Andhra Pradesh.	State Government of Andhra Pradesh.”
----	--	--------------------------------------

[F. No. NH-14013/8/2012-P&M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Note.—The principal notification was published *vide* number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and last amended *vide* number S.O. 2371(E), dated the 5th October, 2012.